इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी 2016—पौष 22, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 5-1/2002/32-राज्य सरकार के विनिश्चय के अनुसरण में,ऐसे उद्योगों/खदानों,नगरीय निकायों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए,जिनका पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण के मामले में अनुपालन उत्कृष्ट रहा है तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-117-बत्तीस-90,दिनांक 29 अप्रैल,1999 और एफ 5-1-2002-बत्तीस,दिनांक 21 दिसम्बर,2010 को अतिष्ठित करते हुए,एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को समाविष्ट करते हुए,उपरोक्त क्षेत्र में सर्वोत्तम उद्योगों/खदानों/नगरीय निकाय की पहचान करने तथा पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक समिति गठित की जाती है,अर्थातः-

1.	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियत्रण बाड, भापाल–	अध्यक्ष
2.	संचालक/आयुक्त, संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल या उसका प्रतिनिधि–	सदस्य
3.	संचालक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल या उसका प्रतिनिधि–	सदस्य
4.	संचालक, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, (सी.एस.आई.आर), भोपाल अथवा उसका प्रतिनिधि–	सदस्य
5.	प्राध्यापक, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग,मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल या उसका प्रतिनिधि–	सदस्य
6.	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर अथवा उसका प्रतिनिधि–	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल–	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति संलग्न नियमों के उपबंधों के अनुसार,राज्य के ऐसे पात्र उद्योगों/खदानों/नगरीय निकायों के नामों की पहचान करेगी जिनका पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के मामले में,नामों की पहचान करेगी जिनका पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के मामले में,हेतु किसी एक वर्ष में उत्कृष्ट कार्य रहा हो तथा पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी । पात्र उद्योगों/खदानों/नगरीय निकायों का विवरण और पुरस्कार की रकम निम्नानुसार है :–

क्रमांक	इकाईयों का विवरण	पुरुस्कार की राशि रुपये
1.	अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग	1,50,000
2.	सामान्य उद्योग	1,00,000
3.	उत्खननरत खदानें	1,00,000
4.	लघु उद्योग	1,00,000
5.	नगर पालिका निगम	1,50,000
6.	नगर पालिका /नगर परिषद	1.00.000

राज्य सरकार,एतद् द्वारा,राज्य में ऐसे उद्योगों/खदानों/नगरीय निकाय द्वारा अनुकरण किए जाने हेतु नियम बनाती है जो उपरोक्त वर्णित किसी प्रवर्ग के अधीन ऐसा एक पुरस्कार सुनिश्चित करने के लिए,उनका विचारण किए जाने की वांछा रखते हो,अर्थात्:-

"नियम"

1. संक्षिप्त नाम :- इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक इकाईयों/खदानों/नगरीय निकायों के लिये मध्य प्रदेश वार्षिक पुरुस्कार नियम 2015 है ।

2. परिभाषाऐं :- इन नियमों में,जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोड,जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड है:

(ख) "समिति " से अभिप्रेत है व्यक्ति या व्यक्तियों से है,जैसा कि राज्य सरकार उद्योगों के दावों के विचारण के लिए तथा ऐसे उद्योगों के नामों की सिफारिश कर सकें जो उनके अभिमत से श्रेणीबद्ध के अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है,नियुक्त करें:

(ग) "अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग " से अभिप्रेत है ऐसा उद्योग जो मध्यप्रदेश में स्थापित है एवं जो उपबंध-एक में वर्णित है तथा जिनका संयंत्र एवं मशीनों पर पूंजीगत विनियोजन उद्योग विभाग द्वारा यथाविनिश्चय किया गया हो:

(घ) "सामान्य उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसा उद्योग जो मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित है किन्तु अंत्यत प्रदूषणकारी के अंतर्गत श्रेणीबद्ध से भिन्न हो पूंजीगत विनियोजन उद्योग विभाग द्वारा विनिश्चिय किया गया हो:

(ड) ''लघु श्रेणी के उद्योगो'' से अभिप्रेत है राज्य में स्थित और उपाबंध–एक में यथावर्णित किसी श्रेणी के अंतर्गत उद्योग तथा जिनका पूंजीगत विनियोजन उद्योग विभाग द्वारा विनिश्चित किया गया होः

(च) ''नगर पालिका निगम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित नगर निगम तथा नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैः

(छ) ''नगर पालिका /नगर परिषद'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश में स्थापित नगर पालिकाएं तथा नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैः

(ज) ''उत्खननरत खदानों'' से अभिप्रेत है जिनके अंतर्गत खुले या भूमिगत गढ्ढों से खनिजों का दोहन किया जाएः

(झ) 'प्ररूप'' से अभिप्रेत है उपाबंध–दो में विनिर्दिष्ट प्ररूप।

3. ऐसे उद्योगों/खदानों/नगरीय निकाय जो यह चाहती है कि वार्षिक पुरूस्कार हेतु उन पर विचार किया जावे, तो विहित रीति में संलग्नको सहित अपने दावे बोर्ड को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करने होगें । जिसमें उस वर्ष की दिनांक 31 मार्चतम तक की ही स्थिति बताई जाएगी ।

4. केवल ऐसे उद्योग/खदान/नगरीय निकाय ही पुरस्कार के लिए आवेदन के पात्र होंगे जिनके पास जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974,वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 के अंतर्गत जारी चालू अवधि के लिए सहमति/नवीनीकरण का पत्र तथा परिसंकटमय अपशिष्ट(प्रबंधन,हथालन और सीमापार संचालन) नियम,2008/नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम,1999 के अधीन प्राधिकार पत्र हो ।

5. बोर्ड द्वारा विहित तारीख तक या उसके पूर्व प्राप्ति सभी दावे समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे । समिति छानबीन करेगी तथा प्राप्त दावों का परीक्षण करेगी तत्पश्चात् उन उद्योगों/खदानों/नगरीय निकायों के नाम या नामों की सिफारिश करेगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाना चाहिए । यदि समिति किसी का नाम नहीं सुझाती तो उस प्रभाव की सिफारिश की जाएगी । यदि समिति, एक से अधिक नाम किंतु दो तक समिति की सिफारिश करती है तो पुरस्कार की रकम उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी ।

6. समिति कार्य के संचालन की अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुसरण करेगी किन्तु राज्य सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के पूर्व स्वीकृत हेतु राज्य सरकार को सिफारिश प्रस्तुत करनी होगी ।

7. समिति द्वारा की गई सिफारिश अंतिम होगी ।

8. राज्य सरकार इन नियमों या इन नियमों के अधीन उपाबंध का संशोधन कर सकेगी और ऐसे संशोधन,संशोधन की तारीख से प्रभावी होगें।

9. राज्य सरकार पुरस्कारों की पुष्टि करने के लिए समिति की सिफारिश पर अंतिम विनिश्चिय लेगी ।

10. उपाबंध -2 मे उल्लेखित पुरूस्कार संबंधित उद्योग/खदानों/नगरीय निकाय को राज्य शासन द्वारा नगद पुरूस्कार के साथ दिए जाएंगे ।

परिशिष्ट–1

मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित उन उद्योगों के नाम जो वार्षिक पारितोषिक के लिय विचारणीय होगे (अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग)

1. इन्टीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट
2. एल्यूमीनियम इण्डस्ट्रीज
3. डाई एण्ड डाईज
4. केमिकल/कास्टिक सोडा इण्डस्ट्रीज
5. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स
6. शुगर इण्डस्ट्रीज
7. फर्टीलाईजर्स /सल्फ्यूरिक एसिड
8. डिस्टलरी/फरमन्टेशन इण्डस्ट्रीज
9. पल्प पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स
10. सीमेंट इण्डस्ट्रीज
11. थर्मल पॉवर स्टेशन्स
12. पेट्रोकेमिकल्स
13. कल्सटर ऑफ टेनरीज
14. पेन्ट्स
15. पेस्टीसाईड्स
16. कॉपर एण्ड जिंक स्मेल्टिंग
17. पेट्रोलियम ऑयल रिफायनरीज

परिशिष्ट –2
पर्यावरण पुस्स्कार –आवेदन पत्र

1. उद्योग / नगरीय निकाय की श्रेणी :

(अ) अत्यंत प्रदूषणकारी / नगर पालिका निगम :...

(ब) सामान्य प्रदूषणकारी / नगर पालिका /नगर परिषद :...

(स) लघु उद्योग :...

(द) उत्खनन खदान :...

2. उद्योग/खादान/ नगरीय निकाय का नाम स्थापना स्थल का पता एवं टेलीफोन नंबर :...
....

3. नगरीय निकाय का प्रकार/उद्योग/खदान के उत्पाद एव वार्षिक उत्पादन :...

4. उद्योग /खदान की स्थापना में कुल विनियोजन :...

5. प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं हेतु विनियोजन/ घरेलु जलमल/घरेलु कचरे की निष्पदान व्यवस्थाओं :...

6. वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं/घरेलु जलमल/ घरेलु कचरे के प्रबंधन हेतु आवर्ती वार्षिक व्यय :...

7. बोड से प्राप्त सम्मति का नम्बर एंव दिनांक :–

जल अधिनियम 1974	वायु अधिनियम 1981	प्राधिकार पत्र (केवल खतरनाक/ नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थो के उत्पादन की दशा में)

8. सम्मति के नवीनीकरण का नम्बंर, दिनाक एवं वैधता :

जल अधिनियम 1974	वायु अधिनियम 1981	प्राधिकार पत्र (केवल खतरनाक/नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थो के उत्पादन की दशा में)

9. जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही का ब्यौरा :

	उपचार संयंत्रों का विवरण	लागत	शुरू करने की तिथि
औद्योगिक निस्त्राव हेतु			
घरेलू निस्त्राव हेतु			

10. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही का ब्यौरा / नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का ब्यौरा :

नियंत्रण संयंत्रों का विवरण	किस यूनिट में संलग्न है	लागत	शुरू करने की तिथि

11. प्रदूषण नियंत्रण उपचार संयंत्र चलाने हेतु पृथक् विद्युत मीटरों का ब्यौरा

(अ) विद्युत मीटरों की संख्या ....

(ब) वार्षिक विद्युत खपत ....

12. समीक्षागत अवधि की मानीटरिंग रिपोर्ट :

निस्त्राव की	जल स्त्रोत निस्त्राव के छोड़ने से 100 मीटर डाउनस्ट्रीम के स्थान पर	वायु मण्डल में उत्सर्जन की

13. उद्योग/खान/नगरीय निकाय में पुर्न उपयोग व्यवस्था एंव उसका उद्योगो में प्रतिशत उपयोग :

निस्त्रावों के	उत्सर्जनों के	अपशिष्ट के

14. सुरक्षा व्यवस्थाओ का विवरण (खतरनाक उत्पादो/नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन संदर्भ में)

व्यवस्थाओं का विवरण	वर्ष मे दुर्घटना का विवरण	दुर्घटना से जन स्वास्थ्य की क्षति पूर्ति का विवरण	सुधार कार्यो का विवरण

15. प्रदूषण नियंत्रण कार्यो मे संलग्न कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं उपचार संयंत्र व्यवस्थाओं का रख रखाव :

प्रदूषण नियंत्रण कार्यो मे	पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों में	औद्योगिक सुरक्षा कार्यो में

16. प्रदूषण संबंध शिकायतें एवं उनके विनारणार्थ की गई कार्यवाही :

शिकायतों का विवरण	निवारण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण

17. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्यवाही :

खतरनाक रसायनो के नियमन के आयात–निर्यात हेतु कार्यवाही का विवरण	खतरनाक रसायनों के विनिर्माण भंडारण एवं आयात व्यवस्थाओं का विवरण	खतरनाक जीवाणुओं भंडारण व्यवस्थाओं का विवरण	नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन व्यवस्थाओं का विवरण

18. उद्योग /खदान/ नगरीय निकाय क्षेत्र में किया गया वृक्षारोपण :

अब तक का कुल वृक्षारोपण एवं स्पेसीज	समीक्षागत अवधि में किया गया वृक्षारोपण स्पेसीज का विवरण	वृक्षारोपण उपरांत देख भाल	जीवित रहनेवाल वृक्षो का प्रतिशत

19. पर्यावरण सुधार कार्यो का विवरण :

पर्यावरण उन्नयन के लिये सामाजिक कार्य	ऊर्जा की बचत संबंधी कार्यो का विवरण	उद्योग/खान/नगरीय निकाय के विरूद्व शिकायतें /विधान सभा प्रश्न

हस्ताक्षर..

पदनाम ....

संस्था के नाम तथा पक्ष में कालम–2 के अनुसार

Bhopal, the 12th January 2016

F 5-1/2002/32-In pursuance of decision of the State Government decision to grant awards to such Industries/Mines/ Urban Bodies where performance in the matter of environment and pollution control has been excellent,in supersession of this departments notofication No. F 5-117-XXXII-90 –dated 29th April 1999 and No. F-5-1-2002-XXXII dated 21st December 2010,a committee comprising of the following officers,is herby,constituted to identify and grant the awards to the best Inustries/Mines/Urban Bodies in the afoesaid field,namely:-

1.	Chairman, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal	- Chairman
2.	Director/Commissioner, Directorate, Urban Development Department, Bhopal or his representative	- Member
3.	Director, Indian Institute of Forests Management, Bhopal or his representative	- Member
4.	Director, Advanced Materials and Processes Research Institute (C.S.I.R.), Bhopal or his representative	- Member
5.	Professor, Department of Environment Engineering, Maulana Azad College of Technology, Bhopal or his representative.	- Member
6.	Director, Industrial Health & Safety, Indore or his representative	- Member
7.	Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board,Bhopal.	- Member Secretary

Above committee as per provisions of the rules appended,shall identify and recommend to the State Government for grant of awards the names of such eligible industries/mines/urban bodies of the State where performance in one year has been excellent in the matter of environment and pollution control.

Particulars of eligible industry/mines/urban bodies and the amount of award is as follows:-

S.No.	Particulars of Units	Amount of Awards (Rs.)
1.	Highly Polluting Industry	1,50,000.00
2.	General industry	1,00,000.00
3.	Mines Connected with Excavation of Minerals	1,00,000.00
4.	Small Industry	1,00,000.00
5.	Muncipal Corporation	1,50,000.00
6.	Muncipality/Nagar Parishad	1,00,000.00

The State Government, hereby makes following rules to be followed by such of the industries/ mines/urban bodies in the State, as may wise to have their case considered for securing one such award under any of category mentioned above,namely :-

RULES

1. **Short Title** :- These rules may be called the Madhya Pradesh Annual Award for the best performance of Industrial Unit/ Mines/ Urban Bodies for Environment and Pollution Control Rules,2015;

2. **Definitions** :- In these rules unless the context otherwise requires –

(a) "Board" means the Madhya Pradesh Pollution Control Board, a State Board constituted under Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

(b) "Committee" means the person or persons as the State Government may appoint for considering the Claims of the industries and recommend the names of such industries which in their opinion are most suitable for the grant of annual award under each category;

(c) "Highly Polluting Industry" means an industry established in Madhya Pradesh and mentioned in Annexure-1 and having a capital investment as decided by Industry Department on plant and machinery;

(d) "General Industry" means the industries established in Madhya Pradesh but other than those categorized under highly polluting and having a capital investment as decided by Industry Department ;

(e) "Small Scale Industry" means the industry located in the State and covered under any of the category as mentioned in Annexure-1, and having a capital investment as decided by Industry Department ;

(f) "Muncipal Corporation" means the Corporation established in the State of Madhya Pradesh and categorized under Urban Development Department;

(g) "Muncipality / Nagar Parishad" means the Municipality established in Madhya Pradesh and categorized under Urban Development Department;

(h) "Active Mines" means the pits whether open or under ground from where minerals are being extracted;

(i) "Form" means a form specified in Annexure-II.

3. The industries/mines/ urban bodies desires to be considered for the annual award, shall submit their claims in the prescribed manner,supporting enclosures to the Board by 30th April of each year stating the position as on 31st March of that year.

4. Only such industries/mines/urban bodies shall be eligible to pply for the award which possess the letter of consent/renewal for the current period,issued under the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the letter of authorization under Hazardous Wastes (Management, Handling & Trans-boundary Movement) Rules, 2008/ Municipal Solid Wastes (Management & Handling) Rules,1999 .

5. All claims received on or before the prescribed date by the Board, shall be placed before the committee. The committee shall scrutinize and adjudge the claims received and recommend the name or names of the industry/ Mines/ urban bodies to which the award should be given by the State Government. In case the committee has no names to suggest, a recommendation to that effect shall be made. In case the committee recommends more than one name but limited to two, then the amount of award shall be distributed equally amongst them.

6. The committee shall follow its own procedure for conduct of business but shall make the recommendation to the State Government for sanction not later than 31st March of the each financial year.

7. The recommendations made by the committee shall be final.

8. The State Government may amend the rule or annexure under these rules and such ammendments shall be effective from the date on which they are made.

9. The State Government shall take a final decision on the recommendation of the committee for conferring the awards.

10. The award mentioned in annexure-II shall be given to the industry/ Mines/ Urban Bodies concerned by the Government along with cash award.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

Annexure – I

Names of Industries located in the State of Madhya Pradesh for being considered for the Annual Award (Highly Polluting Industries)

1. Integrated Iron & Steel Plant.
2. Aluminium Industries
3. Dye & Dyes
4. Chemical/Caustic Soda Industries.
5. Drugs & Pharmaceuticals.
6. Sugar Industries.
7. Fertilizer/Sulphuric Acid Plant
8. Distillery/Fermentation Industries.
9. Pulp Paper & Board Mills
10. Cement Industries
11. Thermal Power Stations.
12. Petrochemicals.
13. Cluster of Tanneries
14. Paints
15. Pesticides
16. Copper & Zinc Smelting
17. Petroleum Oil Refineries

Annexure - II

APPLICATION FOR THE ANNUAL AWARD

1. CATEGORY OF INDUSTRIES/ NAGARIY NIKAY

(a) Highly Polluting Industry/

Nagar Palika Nigam :.......................................

(b) General Industry/Nagar Palika/

Nagar Parishad : ....

(c) Small Scale Industry :.......................................

(d) Mines Connected with

excavation of minerals : ....

2. Name of Industry/ Mines/ Nagariy Nikay, its

Location, Address and : ....

Telephone No. : ....

....

3. Product and Annual Production

of Iindustry/ Mines

/.Type of Nagariy Nikay : ....

....

4. Capital Investment on : ....

Industry/Mine : ....

5. Capital investment for Pollution Control measures/Domestic sewage and Municipal solid Wastes Managements. :......................................

6. Annual recurring expenditure : ....
for pollution control measures ....
and managements.

7. Number & date of Boards consent :

Water Act. 1974	Air Act, 1981	Authorization Certificate (only for the production of hazardous wastes and municipal solid wastes)

8. Number, date validity of Boards consent and its renewal :

Water Act. 1974	Air Act, 1981	Authorization Certificate (only for the production of Hazardous Wastes and Municipal solid Wastes))

9. Detail of Water Pollution Control measure :

	Details of effluent treatment plant	Capital cost	Date of commissioning
a. For industrial effluent			
b. For Domestic sewage			

10.Details of air pollution control measures/ Municipal Solid wastes Management .

Details of control equipments	Attached to which unit	Capital cost	Date of commissioning

11.Details of separate electrical Meter installed for pollution Control equipments.

(a). No. of meters :...............................

(b). Annual Power consumption:..............................

12.Monitoring report (for period under consideration) :

Effluent at out fall	At 100 mts. down stream of out fall	Quality of stack emission	Ambient air quality

13.Re-utilization measures and its percentage use in industry/mine/ Nagariy Nikay :

For effluents	For emissions	For waste Product

14. Details of Safety measures (in case of Hazardous Products/ Municipal solid Wastes) :

Details of arrangement made	Details of accident in a year	Details of remedial measures	Safety measures adopted for preventing accident

15. Training to employees on pollution control measures :

For Pollution control	For Environment protection and ehabilitation	For industrial safety

16. Complaints of Pollution and Remedial Steps :

Details of complaints	Remedial action

17. Action under Environment (Protection) Act, 1986 :

Steps taken for the regulation of Hazardous Chemicals	Details of manufacturing storage and imports of hazardous substances	Details of Import-Export and storage of hazardous micro organics	Details of Municipal solid Wastes Managements.

18. Details of Plantation in area of Industry/Mine/ Nagariy Nikay :

Total plantation and their species	Total plantation and their species in period under consideration	Steps taken to protect plantations	Percentage of survival

19.Steps taken for environmental up-gradation :

Social aspects	Energy conservation measures	Complaints/Assembly question against industry /mine/ Nagariy Nikay

Signature : ....

Designation : ....

For & behalf of the industry named in column 2.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.